

कार्यालय नगर निगम, देहरादून

(ई-निविदा)

नगर निगम, देहरादून क्षेत्र में स्वच्छ सर्वेक्षण एवं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2023 के अन्तर्गत नगर में आई०ई०सी० गतिविधियों हेतु मुख्य सड़कों से लगी दीवारों पर वॉल राईटिंग एवं पैटर्न वर्क के कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा पोर्टल उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट www.uktenders.gov.in में दिनांक 25.05.2023 को अपराहन 02:00 बजे तक जमा की जा सकती है। निविदा, कमेटी के समक्ष दिनांक 26.05.2023 को अपराहन 02:00 बजे खोली जायेगी।

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।



कार्यालय नगर निगम, देहरादून।



(का०- 0135-2714074:फैक्स- 0135-2651060: ई-मेल- (nagarnigam.ddn@gmail.com)

पत्र सं० 377 IEC/SBM-NCAP/2023-24


दिनांक अप्रैल 29, 2023

प्रतिलिपि:-

1. सम्पादक, हिंदुस्तान, समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में आगामी अंक के कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ बिल एवं समाचार पत्र की दो प्रति नि:शुल्क इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. सम्पादक, दैनिक जागरण, समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को उत्तराखण्ड संस्करण के आगामी अंक के कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ बिल एवं समाचार पत्र की दो प्रति नि:शुल्क इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. श्री मनीष पन्त आई० टी० आफिसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को ई-निविदा पोर्टल उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट www.uktenders.gov.in एवं नगर निगम, देहरादून की वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. नगर निगम, देहरादून सूचना पट पर चस्पा हेतु।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

29/4/23



वर्ष - 2023-2024

निविदा दस्तावेज

कार्य का नाम - नगर निगम, देहरादून क्षेत्र में स्वच्छ सर्वेक्षण एवं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2023 के अन्तर्गत नगर में आई०ई०सी० गतिविधियों हेतु मुख्य सड़कों से लगी वॉल पर राईटिंग एवं पैटर्न वर्क के कार्य हेतु ई-निविदा।

नगर निगम देहरादून

ई-मेल आई०डी० - nagarnigam.ddn@gmail.com
वेबसाइट - www.nagarnigamdehradun.com

अनुक्रमांक तालिका

	विवरण	पेज सं०
	ई-निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथि एवं समय	3
2	कार्य का नाम	3
3	निविदा हेतु पात्रता/अर्हता	3
4	स्कोप ऑफ वर्क	3-4
5	ई-निविदा शुल्क	4
6	धरोहर राशि	4
7	कार्यपूर्ति प्रतिभूति	5
8	निविदा विधि	5
9	वित्तीय प्रस्ताव	5
10	भुगतान प्रक्रिया	5
11	पैनल्टी	6
12	विवाद की स्थिति	6
13	निविदा स्वीकार/स्वीकृति	6
14	कार्य आदेश	6
15	कार्य अवधि	6
16	विलम्ब से प्राप्त निविदा	6
17	समीक्षा समिति	6
18	ई-निविदा का प्रकाशन	7
19	निविदा की अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क सूत्र	7
	संलग्नक	
20	वित्तीय बिड बी०ओ०क्यू०	8

ई-निविदा दस्तावेज

1	ई-निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथि एवं समय	<ul style="list-style-type: none"> • ई-निविदा प्रकाशित करने की तिथि एवं समय..... • ई-निविदा अपलोड करने की तिथि एवं समय..... • ई-निविदा डाउनलोड/की अन्तिम तिथि एवं समय..... • ई-निविदा डालने की अन्तिम तिथि एवं समय..... • ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय.....
2	कार्य का नाम	<ul style="list-style-type: none"> • कार्य का नाम – नगर निगम, देहरादून क्षेत्र में स्वच्छ सर्वेक्षण एवं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2023 के अन्तर्गत नगर में आई०ई०सी० गतिविधियों हेतु मुख्य सड़कों से लगी वॉल पर राईटिंग एवं पैटर्न वर्क के कार्य हेतु ई-निविदा। • कार्य के अंतर्गत वॉल राईटिंग एवं पैटर्न वर्क के द्वारा स्वच्छता हेतु विभिन्न प्रकार के सामाजिक संदेश एवं जानकारियों को दर्शाया जाएगा।
3	निविदा हेतु पात्रता/ अर्हता	<ul style="list-style-type: none"> • निविदादाता के रूप में फर्म अथवा एन०जी०ओ० प्रतिभाग कर सकते हैं। • निविदादाता फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। • निविदादाता के पास पेन कार्ड, जी०एस०टी० पंजीकरण होना अनिवार्य है। • निविदादाता किसी संस्था से ब्लैक लिस्टेड न हो, का रु० 100/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। • निविदादाता को न्यूनतम 02 वर्षों का सम्बन्धित कार्यों (जैसे की वॉल पेंटिंग, रचनात्मक चित्रकारी, सोशल मैसेजिंग, सूचना-शिक्षा-संचार गतिविधियों, इत्यादि) का अनुभव के आवश्यक प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है। • निविदादाता के पास एक या अधिक चित्रकार (रचनात्मक कलाकर) का उपलब्ध होना अनिवार्य है। • निविदादाता के विरुद्ध कोई कानूनी विवाद नहीं है, का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। • निविदादाता द्वारा विगत 03 वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 का आयकर रिटर्न (I.T.R.) भरे जाने के प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
4	स्कोप ऑफ वर्क	<ul style="list-style-type: none"> • नगर निगम के समस्त 100 वार्डों में निगम द्वारा चिह्नित सड़क से लगी दीवारों पर यह राईटिंग एवं पैटर्न वर्क का कार्य किया जाना है। • उक्त कार्य को सफलापूर्वक पूर्ण करने के लिये 02 भाग में किया जाना है। <ul style="list-style-type: none"> ○ चिह्नित दीवारों की साफ सफाई एवं स्वेत प्राईमर रंग का कार्य किया जाना है। ○ प्राईमर के कार्य के उपरान्त निगम द्वारा मंजूर की गई राईटिंग एवं पैटर्न वर्क द्वारा सूचना-शिक्षा-संचार का कार्य किया जाना है। • सफल निविदादाता द्वारा कार्य को पूर्ण करने के लिए सभी सामग्री जैसे कि पेंट, ब्रश, रेगमार इत्यादि की व्यवस्था स्वयं की जाएगी। • निविदादाता को उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए बाहरी दीवारों (Exterior Paint) पर लगने वाले वॉटर प्रूफ पेंट का उपयोग करना अनिवार्य है एवं पेंट की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी आवश्यक है। प्रतिष्ठित कंपनी जैसे कि नेरोलैक, एशियन पेंट्स, बर्जर इत्यादि का ही पेंट प्रयोग किया जाएगा। पेंट की स्थिरता (Durability) की न्यूनतम 3 वर्ष की गारंटी होनी आवश्यक है।

		<p>सफल निविदादाता कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इस्तमाल किये जाने वाले पेंट संबंधित सूचना नगर निगम को उपलब्ध करायेगें।</p> <ul style="list-style-type: none"> • सफल निविदादाता को निगम द्वारा दिये गये संदेश (Write-up) एवं पैटर्न के स्वीकृत नमूने उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें निविदादाता द्वारा दीवारों पर पेंट किया जाएगा। निविदादाता द्वारा भी पैटर्न के उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निगम द्वारा स्वीकृति के उपरान्त ही उन्हें दीवारों पर पेंट किया जा सकता है। • उक्त कार्य कुल 15,000 sq. ft. के क्षेत्रफल की दीवारों पर किया जाना है, जिसको आवश्यकता अनुसार 25,000 sq. ft तक बढ़ाया जा सकता है। • कार्य की अवधि छः माह की होगी। निविदादाता को प्रत्येक माह लगभग 2,000 sq. ft. पेंटिंग का कार्य करना अनिवार्य है। उक्त कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सभी मानव संसाधन, जैसे की पेंटर, आर्टिस्ट इत्यादि, का परिनियोजन करना सफल निविदादाता द्वारा किया जायेगा। • वॉल राईटिंग एवं पैटर्न वर्क सही अनुपात (Ratio) एवं परिप्रेक्ष्य (Perspective) में होने चाहिये। • संस्था द्वारा कार्य हेतु आवश्यक मचान, भाड़ा, मैटेरियल, संबंधित कर्मचारियों हेतु सुरक्षा संबंधी उपकरण एवं अन्य कोई भी कार्य हेतु आवश्यक सामग्री स्वयं उपलब्ध करानी होगी। • इम्पेनलड निविदाकारों द्वारा इस कार्य हेतु इस विषय से संबंधित व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में निगरानी एवं कार्यालय से संबंधित कार्य हेतु लगाया जाना होगा, जोकि सम्पादित हुए कार्य की मात्रा, गुणवत्ता, देख-रेख, प्रमाणिकरण एवं बिलिंग आदि हेतु जिम्मेदार होगा। • इम्पेनलड निविदाकारों को अनुभवी आर्टिस्ट जो की इस कला में निपूण हों, कार्य के दौरान क्षेत्र में लगाये जाना होगा। • इम्पेनलड निविदाकारों को writing work एवं pattern painting हेतु शहर की प्रमुख दिवारों का सर्वे कर उसके आकर्षक डिजाईन एवं राईट-अप तैयार करने होंगे, जो की उस क्षेत्र, स्वच्छता सर्वेक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून, समसामयिक विषयों, आदि से संबंधित हो, जिसकी अंतिम स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। पेंटिंग कार्य में किसी भी प्रकार का विवादस्पद कार्य संपादित न हो इसका विशेष ध्यान रखना होगा। • सफल निविदादाताओं को अनुबंध की अवधि के दौरान अपनी टीम के रहने व खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। • निविदादाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था जैसे कि कर्मचारियों के कार्य करने के दौरान सुरक्षा एवं कार्य के दौरान किसी भी सम्पत्ति को क्षति पहुंचने पर, सफल निविदादाता को उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी एवं उचित कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।
5	ई-निविदा शुल्क	ई-निविदा फार्म शुल्क रु० 500/- + रु० 90/- (18% जी०एस०टी०), कुल रु० 590/-
6	धरोहर राशि	<ul style="list-style-type: none"> • निविदा हेतु धरोहर राशि रु० 20,000/- की एफ०डी० आर०/सी०डी०आर०/डी०डी० जो वित्त नियंत्रक, नगर निगम, देहरादून के नाम बंधक हो संलग्न करना अनिवार्य है। • धरोहर राशि/निविदा शुल्क सम्बन्धी एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/डी०डी० की हार्ड कापी सील बन्द लिफाफे में स्वास्थ्य अनुभाग में निविदा डालने की अन्तिम तिथि तक जमा करना अनिवार्य है।

		धरोहर राशि/निविदा शुल्क प्राप्त न होने की स्थिति में निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
7	कार्यपूर्ति प्रतिभूति	<ul style="list-style-type: none"> • अनुबंध के सम्यक रूप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदादाता फर्म, जिसके पक्ष में अनुबंध दिया गया हो, से कार्यपूर्ति प्रतिभूति ली जायेगी। अनुबंध में निहित धनराशि के मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्यपूर्ति अनुबंध की कुल राशि रूपये 50,000/- होगी, कार्यपूर्ति प्रतिभूति वाणिज्य बैंक से निर्गत आदाता के नाम डिमान्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारन्टी के मूल्य में निविदा प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। • कार्य अवधि पूर्ण होने के दिवस से 90 दिवस तक कार्यपूर्ति प्रतिभूति का वैध होना आवश्यक है। • कार्य को Scope of Work के अनुसार पूर्ण करने के पश्चात्, निगम द्वारा अगले तीन माह तक कार्य का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान यदि कार्य में कोई त्रुटि पाई जाती है तो निविदादाता की कार्यपूर्ति प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी। • सफल निविदादाता द्वारा कार्यपूर्ति प्रतिभूति धरोहर प्रस्तुत करने के बाद उसकी निविदा धरोहर वापस कर दी जायेगी।
8	निविदा विधि	<ul style="list-style-type: none"> • ई-निविदा हेतु दो प्रस्ताव प्रणाली आमंत्रित की जा रही है, जिसमें प्रस्ताव-एक में तकनीकी निविदा से सम्बन्धित दस्तावेज/शपथ पत्र/धरोहर राशि/टेण्डर फीस एवं कार्य से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध कराये जायेंगे। एवं प्रस्ताव-दो में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा जो कि ई-निविदा पोर्टल पर बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होगा। • तकनीकी निविदा हेतु पात्रता/अर्हता में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी। • सभी तकनीकी योग्य निविदादाता जो एल-01 बिडर की दर पर कार्य करने के लिए सहमत हैं, उन्हें उक्त कार्य के लिए नगर निगम, देहरादून द्वारा सूचिबद्ध (इम्पेनल्ड) किया जाएगा। कुल कार्य का विभाजन सफल निविदाकार एवं सहमति प्राप्त निविदाकारों के मध्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जोकि सभी निविदाकारों को मान्य होगा।
9	वित्तीय प्रस्ताव	<ul style="list-style-type: none"> • ई-निविदा प्रक्रिया में उक्त कार्य हेतु बी0ओ0क्यू0 के अनुसार दरें प्रस्तुत की जायेंगी। (संलग्न- बी0ओ0क्यू0) • न्यूनतम दरों के आधार पर निविदादाता फर्म का चयन किया जायेगा। • उक्त कार्य न्यूनतम दर प्रस्तावित (एल-01) करने वाले निविदादाता को दिया जायेगा। कार्य की मात्रा अधिक होने के कारण अन्यथा एल-01 निविदादाता द्वारा कार्य को पूर्ण करने के लिए पेंटर एवं अन्य मानव संसाधन की कमी होने की स्थिति में नगर निगम अन्य प्रतिभागी निविदादाताओं को उक्त कार्य एल-01 के दरों पर करने का अवसर प्रदान करेगी।
10	भुगतान प्रक्रिया	<ul style="list-style-type: none"> • कार्य के लिए अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। • निगम द्वारा कार्यों के निरीक्षण किया जाएगा एवं संतोषजनक पाए जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। • निविदादाता को पूर्ण किये गये कार्यों का मापन अनुसार बिल नगर निगम को पेश करना होगा। निरीक्षण के उपरान्त दिये गये बिलों का भुगतान निगम द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

11	पैनल्टी	<ul style="list-style-type: none"> कार्य आदेश/अनुबंध का निरन्तर उलंघन करने पर समानुपातिक रूप से कटौती की जायेगी अथवा अनुबंध निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है। उक्त कार्य की दोष दायित्व अवधि (Defect Liability Period) छः माह है। इस दौरान किये गये कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निविदादाता के द्वारा उक्त कार्य पुनः किया जायेगा। कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर सफल निविदादाता को उस कार्य के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा एवं संस्था द्वारा उस कार्य को बदलना अथवा पुनः प्राधिकारी की संतुष्टी अनुसार करना होगा।
12	विवाद की स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> फर्म तथा नगर निगम के मध्य कोई विवाद होने पर उसका निपटारा नगर निगम स्तर पर किया जायेगा। किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।
13	निविदा स्वीकार/स्वीकृति	<ul style="list-style-type: none"> किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम, देहरादून के पास सुरक्षित है। यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम अथवा अन्य निविदा स्वीकार ही की जाये। दरें स्वीकृत होने पर निविदादाता को कार्य करने से पूर्व 50/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
14	कार्य आदेश	<ul style="list-style-type: none"> यदि सफल निविदादाता फर्म द्वारा अनुबंध/कार्य आदेश के बाद निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करता अथवा संतोष जनक रूप से कार्य नहीं करता अथवा शर्तों का उलंघन करता है तो निविदादाता की धरोहर राशि जब्त करते हुए उसका अनुबंध एवं निविदा को निरस्त किया जायेगा अथवा फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।
15	कार्य अवधि	<ul style="list-style-type: none"> उक्त कार्य की अवधि छः माह होगी तथा कार्य की त्रिमासिक समीक्षा की जायेगी, कार्य संतोष जनक पाये जाने पर समिति की सहमति/संस्तुति से कार्य अवधि/ अनुबंध को छः माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
16	विलम्ब से प्राप्त निविदा	<ul style="list-style-type: none"> देर से प्राप्त (निर्धारित तिथि एवं समय के बाद) निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
17	समीक्षा समिति	<ul style="list-style-type: none"> नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून की अध्यक्षता में निम्नानुसार उक्त कार्य की समीक्षा हेतु समिति गठित की जायेगी नगर आयुक्त/नामित अधिकारी-अध्यक्ष मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी-सदस्य वित्त नियंत्रक-सदस्य अधिशारी अभियन्ता-सदस्य
18	ई-निविदा का प्रकाशन	<ul style="list-style-type: none"> ई-निविदा उत्तराखण्ड ई-निविदा पोर्टल www.uktenders.gov.in पर प्रकाशित किया जायेगा, इसके साथ नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध रहेगा। ई-निविदा प्रक्रिया में विस्तार एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने की दशा में ई-निविदा पोर्टल पर शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जायेगा। निविदा ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल से प्राप्त की जायेगी।

19	निविदा की अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क सूत्र	<ul style="list-style-type: none"> श्री एस० पी० जोशी, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून। मोबाइल न० – 8057065085
----	---	---

Standards for pattern work, painting and writing work

A- When painting on brick walls the following standards shall apply:

1. When painting on a brick surface, old paint must be scraped, wire brushed or power washed to remove any flaking from current paint/material.
2. Priming with acrylic gesso is required to cover existing dark or bold color on the wall or to reseal an unpainted porous surface. Acrylic gesso polymers must be utilized. Latex primers are specifically prohibited.
3. Acrylic paint with a high light fastness rating is required.
4. Sealing - When the artwork is complete, it must be sprayed with coats of sealer - first coat an isolation layer and the second coat a sealing layer.
5. Digital sheets are prohibited.
6. Alternative sealants may be proposed and if found acceptable by the authority may be substituted.

B- When painting on non-brick walls the following standards shall apply: Comply with the Building Code standards for adhering materials to surfaces, meet quality requirements and other applicable code standards.

1. The material must be designed for exterior use and be weather and water resistant.
2. Visible wood must be painted with an exterior paint.
3. Use of Hardy Board materials or their equivalent is permitted.
4. Use of Recycled plastic boards is permitted.
5. Digital sheets are prohibited.
6. Use of any other material shall be with a similar product as listed above and specifically approved by the authority.